

प्रपत्र

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर


(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प.....

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारीसगभिया..... व मू.अ.नि.लेवजी..... व रिपोर्ट तथा तहसीलदार कुम्भलगढ़/गढ़बोर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 195 की धारा 136 के अनुसरण में ग्रामलौर..... तहसील गढ़बोर..... व पिता राजसामन्द व जनानन्दी सम्बद्ध2071-74..... में खाता संख्या02..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्राविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	लौर	02	अजा पिता नारा	अजमसिंह पिता नाहरसिंह




उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत
जिला-राजसमन्द-कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)कुम्भलगढ़

क्रमांक :- 14/2019 प्रा.प. धारा 136

दिनांक - 27/11/19

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार कुम्भलगढ़/गढ़बोर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री अजमसिंह पिता नाहरसिंह को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

